समक्ष मान्नीय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर कैंप सागर

गुलाब तनय हल्कू साहू
निवासी ग्राम–रानीपुरा(नरयावली)
तह0व जिला–सागर(म0प्र0) ....आवेदक

//बनाम//

म0प्र0शासन
द्वारा–अपर कलेक्टर,सागर(म0प्र0) ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्र0क्र0841/अ–23/2011–12 में पारित आदेश दिनाँक 02.04. 2016 से परिवेदित होकर यह गिनरानी निम्न प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता हैः–

//प्रकरण के तथ्य//

1. यह कि, प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि ग्राम लचकयाई स्थित भूमि ख0नं0182तथा 189 रकवा क्रमशः 0.12,0.84 कुल 0.96हे0 भूमि शंकर तनय हीरालाल कोरी को शासन द्वारा वर्ष 1980–81 में पट्टे पर प्रदान की गयी थी जिसे शंकर द्वारा आवेदक को दिनाँक 07.06.1989 को रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के जरीये विक्रय कर दी एवं विक्रय अनुसार आवेदक ने अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराकर विधिवत् कृषि कार्य करता चला आ रहा था किंतु विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर संहिता की धारा 165(7–ख) का प्रकरण तैयार कर लगभग 18 वर्ष पश्चात् स्वप्रेरणा निगरानी में लिये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया एवं अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर आवेदक को उपस्थित कर आवेदक को आदेश की सूचना न दी जाकर उपरोक्त भूमि को म0प्र0शासन में निहित किये जाने का विवादित आदेश दिनाँक 11.03. 2008 आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जिन्होंने संहिता

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. निग. 1730-I-16 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-6-16	1— आवेदक के अधिवक्ता दिलीप गोस्वामी उपस्थित उनके तर्क श्रवण किए गए। मैंने प्रकरण का आवलोकन किया। यह निगरानी अपर कमिश्नर सागर संभाग सागर के प्र.क्र. 841/अ–23/2011–12 में पारित आदेश दि० 02–04–2016 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदक की ओर से तर्क में कहा गया है कि संहिता की धारा 165(7–ख), के अनुसार बिना कलेक्टर महोदय की स्वीकृति के कोई पट्टेदार अपनी भूमि विक्रय नहीं कर सकता है, परंतु संहिता की धारा 158(3) में यह व्यवस्था दी गई कि पट्टेदार 10 वर्ष बाद भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होने के बाद अपनी भूमि का विक्रय बिना कलेक्टर महोदय की अनुमति के भी कर सकता है। 3— आवेदक की ओर से तर्क मे यह भी कहा गया है कि हल्का पटवारी के प्रतिवेदन दिनांक 11.10.2000 के आधार पर प्रकरण नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन पर प्रकरण में कार्यवाही प्रारंभ की गई है अपर कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी के तहत क्रय सुधा भूमि को शासन के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये है। इसके पूर्व आवेदक को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है पीठासीन अधिकारी के स्थानांतरण उपरांत बिना नोटिस जारी किये प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है जिस पर अपर आयुक्त द्वारा ध्यान दिये बिना आदेश की पुष्टि किये जाने से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। उनका यह भी तर्क किया गया है कि इस प्रकरण में पट्टा वर्ष 80–81 में दिया गया था जिसका विक्रय 07.06.1989 को किया गया था। इसी बीच पट्टेदार को म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक. 16–1/84/07/2ए दिनांक 9/2/84 को भूमिस्वामी अधिकार प्रदाय किए गए थे। इस कारण अंतरण वर्ष 80–81 कें वंटन पश्चात रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के अनुसार विक्रता को भूमि स्वामी हक प्राप्त हो गया था ऐंसी स्थिति में प्रस्तावित कार्यवाही एवं पारित आदेश उपरोक्त इस प्रकरण में प्रभावशील नहीं है,	

[कृ. प. उ.

 निग- 1730 [illegible]/16 (सागर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	5— आवेदक की ओर से तर्क में कहा गया है कि लगभग 18 वर्ष पूर्व किये गये विक्रय पत्र को शून्य किये जाने बावत् राजस्व अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर स्वप्रेरणा निगरानी की कार्यवाही की गई है जबकि क्रेता द्वारा विवादित भूमि पर श्रम, धन खर्च कर भूमि को उन्नत बनाया गया है जैसा कि राजस्व निर्णय 1999 पेज 363 मोहन तथा अन्य विरूद्ध म.प्र. राज्य में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर की जाना चाहिए तथा एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजचन्द्र बनाम युनियन ऑफ इन्डिया एस.एस.सी.–44 में यह मत निर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा निगरानी की प्रक्रिया समय सीमा में की जाना चाहिए। माननीय उच्च न्याया. न्यायधीश एस.के. गंगेले ने वर्ष रे.नि. 2013 पृष्ट 8 में भी 180 दिन से बाहर ऐंसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता का उल्लेख किया है अतएव उन्होंने आवेदक को किया गया नामांतरण आदेश स्थिर रखते हुए अपर कलेक्टर सागर द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया है। 6— आवेदक अधिवक्ता के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर स्वमेंव निगरानी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया गया है। प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा वर्ष 80—81 में दिया गया था और भूमि का विक्रय वर्ष 07.06.1989 में किया गया है। जो 10 वर्ष पश्चांत् किया गया है ऐंसी स्थिति में पट्टेदार को भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होने के बाद किया गया अंतरण अवैध नहीं माना जा सकता। अतएव प्रस्तुत तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में अपर कलेक्टर सागर द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश स्थिर रखे जाना नहीं पाता हूँ। 7— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.03.08 एवं अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनॉक 02.04.2016 निरस्त किया जाता है परिणातः राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम पूर्वतः दर्ज रखते हुए यह निगरानी स्वीकार की जाती है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	